विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक संख्या 6221/एडमिन "जी-1"/2019, इलाहाबाद दिनांकित 14.05.2019 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुक्रम में जनपद अम्बेडकरनगर के परिवार न्यायालयों में परामर्शदाताओं की नियुक्ति की जानी है, जिसके सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-102/सात-न्याय-2-2015-728/86 न्याय अनुभाग-2 अधीनस्थ न्यायालय लखनऊ दिनांक 18.06.2015 के द्वारा निम्न अर्हता प्राप्त व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1— आवेदक समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री रखता हो और समाज सेवा का अनुभवी हो, ऐसे आवेदक को जो सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक हो और पारिवारिक काउन्सिलिंग में दो वर्ष का अनुभव रखता हो, उसे वरीयता दी जायेगी।

2— आवेदक की आयु इस विज्ञप्ति के जारी होने की दिनांक को 35 वर्ष से 65 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।

3— परामर्शदाता का कार्यकाल 03(तीन) वर्ष का होगा। माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर 03(तीन) वर्ष के लिये उनके नाम पर पुर्नविचार किया जा सकता है।

4— परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जायेगी और वे न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्व रहेंगे।

5— नियुक्त परामर्शदाता को शासनादेश के अनुसार नियत मानदेय देय होगा।

6- आवेदन पत्र के प्राप्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा इसकी स्क्रूटनी की जायेगी और यथासम्भव एक पद के सापेक्ष 05 लोगो की सूची तैयार की जायेगी

7- राज्य सरकार से आर्ह परामर्शदाताओ की सूची प्राप्त होने पर माननीय उच्च न्यायालय परिवार एवं बाल विकास से सम्बन्धित योग्य विशेषज्ञ से विचार करने के उपरान्त उनके नाम की संस्तुति राज्य सरकार से करेगा।

8- परामर्शदाता पद हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रेषित नामों के सम्बन्ध मे मा० उच्च न्यायालय प्रत्येक नामों पर विचार करेगी। राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर अधिसूचना जारी करेगीं।

9— जनपद अम्बेडकरनगर के आवेदकों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जायेगी और जनपद अम्बेडकरनगर के अर्ह आवेदक उपलब्ध न होने या दूसरे जिले के आवेदकों की नियुक्ति पर विचार किया जावेगा।

जो पुरूष अथवा महिला इस पद पर नियुक्त होने के इच्छुक हों वे अपना आवेदन पत्र अपने शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाण पत्रो की स्वप्रमाणित छायाप्रतियो सहित दिनांक 10.06.2019 समय 4 बजे तक प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायालय, अम्बेडकरनगर में पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रेषित कर सकते हैं।

31.5.2019

(अमरजीत त्रिपाठी)
जनपद न्यायाधीश,
अम्बेडकरनगर

प्रतिलिपिः—

1— प्रभारी अधिकारी (नजारत) जनपद न्यायालय, अम्बेडकरनगर को इस आशय से प्रेषित की वह उक्त आदेश की प्रति प्रशासनिक कार्यालय के नोटिस बोर्ड, पर, बार एसोसिएशन जनपद न्यायालय, अम्बेडकरनगर, बार एसोसिएशन कलेक्ट्रेट व बाहय न्यायालय टाण्डा के नोटिस बोर्ड

पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।

2– जिला सूचना अधिकारी, अम्बेडकरनगर को स्थानीय समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशन हेतु।

3– सिस्टम अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग जनपद न्यायालय, अम्बेडकरनगर को इस आशय से प्रेषित हो कि वे उक्त आदेश की प्रतिलिपि को जनपद न्यायालय, अम्बेडकरनगर व माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

31.5.2019

(अमरजीत त्रिपाठी)
जनपद न्यायाधीश,
अम्बेडकरनगर

जनपद न्यायालय अम्बेडकरनगर में परिवार न्यायालय हेतु परामर्शदाता पद के लिये

आवेदन पत्र का प्रारूप

स्वप्रमाणित नवीनतम फोटो

चिपकाए

1.पद का नाम–...

2.अभ्यर्थी का पूरा नाम (हिन्दी में) –..

(अंग्रेजी में)–..

3.पिता/पति का नाम–(हिन्दी में)–..

(अंग्रेजी में)–..

4.स्थायी आवासीय
पता–...
....

5.पत्राचार हेतु
पता–...
....

6.जन्म तिथि–......................................

7.दिनांक 30.05.2019 को अभ्यर्थी की आयु.............वर्ष.............माह.............दिन (जन्म तिथि के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करें।)

8.शैक्षिक योग्यता उत्तीर्ण परीक्षाओ का उल्लेख करें और प्रमाण पत्रों तथा अंक तालिकाओं की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।

शैक्षिक योग्यता का विवरण–

क0स0	परीक्षा/डिग्री	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	टिप्पणी

9.क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक वाद लम्बित है अथवा उसे किसी अपराधिक वाद में दण्डित किया गया है। (यदि हाँ तो उसका उल्लेख
करें।)..
....

नोट–यह आवेदन पत्र में अंकित किया जाना आवश्यक है।

10.अनुभव यदि कोई हो तो...

घोषणा पत्र

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण/सूचनाए सत्य हैं और मेरे द्वारा कोई तथ्य नहीं छिपाया गया है। यदि कोई विवरण/सूचना असत्य अथवा गलत पायी जाती है या कोई तथ्य छिपाया जाना पाया जाता है तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये। यदि नियुक्ति हो जाने के उपरान्त ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी सेवाएं समाप्त कर दी जायें।

संलग्नकों की संख्या

1.अंको एवं शब्दों में

2.विवरण

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक–